चिकित्सा विभाग

विविध

15 जून, 1966 ई0

सं0 7065-ग/5-1012 (5)-52-यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10, 1939) की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (इ) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली उक्त ऐक्ट की उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विज्ञप्ति संख्या 6141-ग-5-1012(5) - 52 दिनांक 28 जनवरी, 1996 के अन्तर्गत पहले प्रकाशित की जा चुकी है --

भाग-1 -- सामान्य

1-(1) यह नियमावली "भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार की सेवा नियमावली, 1966" कहलायेगी। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-- यदि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस नियमावली में -- — परिभाषायें

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य यू0पी0 इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10, 1939) से है;

(2) "परिषद" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन संघटित भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(3) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत के संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा समझा जाता है;

(4) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(5) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(6) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से है, तथा

(7) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियुक्त परिषद के रजिस्ट्रार से है।

3-- परिषद् का रजिस्ट्रार परिषद् का पूर्णालिक वैतनिक सेवक होगा। — पदनाम

भाग-2 नियुक्ति

नियुक्ति

4-- नियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद प्रेस में विज्ञापन देकर इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से रजिस्ट्रार के पद का चयन करेगी।

भाग-3 अर्हताएं

5- कोई व्यक्ति तभी रजिस्ट्रार नियुक्त किया जायगा यदि-- — अर्हतायें

(1) अत्यावश्यक: (क) वह भारत का नागरिक या सिक्किम की प्रजा हो।

(ख) उसकी आयु, उस वर्ष की, जिसमें नियुक्ति की जाय, पहली जनवरी को 30 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो,

(ग) वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो,

(घ) उसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री हो,

(ङ) वह देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ और लिख सकता हो, और

(च) उसे किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक पद पर काम करने का कम से कम पांच वर्ष की प्रशासकीय क्षमता एवं अनुभव हो।

(2) अधिमान्यतायें -- (क) उसके पास अधिनियम के अधीन रजिस्टर करने योग्य आयुर्वेद या यूनानी तिब्बी में पदवी, डिप्लोमा या डिग्री हो।

(ख) उसे उर्दू का काम चलाऊ ज्ञान हो।

6-- यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे परिषद के अधीन रजिस्ट्रारके रूप में

नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त बनायें। परिषद् इस सम्बन्ध में अपने को स्वयं सन्तुष्ट करेगी और इसे करने में वह उन सामान्य अनुदेशों का पालन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में जारी किये जायेंगे। चरित्र

7-- कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा, यदि

(क) वह केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो या नैतिक पतन समन्वित आपराधिक अपराध के लिये सिद्ध-दोष हो. अर्हतायें

(ख) उसका कोई सम्बन्धी उसकी नियुक्ति के समय परिषद का अथवा उसकी किसी परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष या सदस्य हो,

(ग) उसके किसी सम्बन्धी का स्वयं अथवा साझेदार द्वारा परिषद से किसी संविदा अथवा सेवायोजन के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजन के लिये "सम्बन्धी" का तात्पर्य पिता, पितामह, श्वसुर, चाचा या पुत्र-पौत्र, सगे चाचा या मामा का लड़का, पत्नी का चचेरा या ममेरा भाई अथवा बहनोई से है।

8-- कोई व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी एक पत्नी पहले से ही हो, नियुक्ति के लिये पात्र न होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद का यह समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त करने के लिये विशेष कारण है, तो वह यह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा। वैवाहिक स्थिति

भाग 4-- वेतन तथा भत्ते

9--(1) रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिये, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में अथवा अस्थायी रूप में नियुक्त हो, अनुमन्य वेतन-मान 200-10-240-द0रो0-10-290-द0रो0-10-310-15-355-द0रो0-15-400 रुपये होगा।

(2) राज्य सरकार जैसा तथा जब कभी आवश्यक हो, वेतनमान में परिवर्तन कर सकती है।

(3) पदधारी मंहगाई भत्ते का भी अधिकारी होगा जो सरकारी सेवकों को समय-समय पर स्वीकृत किये जायें. वेतन तथा भत्ते

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के रूप मं नियुक्ति के लिये किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण वैदेशिक सेवा में किया जाय तो उसकी सेवा की शर्तें, स्थानान्तरण आदेश में दी गयी शर्तों द्वारा विनियमित होगी।

भाग 5 --भर्ती

10-- रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किये जाने के पूर्व उस व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह- अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण आदि प्रस्तुत करना

(1) ऐसे विश्वविद्यालय या कालेज अथवा स्कूल के, जिसमें उसने सबसे अन्त में शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी का और दो उत्तरदायी व्यक्तियों का (जो सम्बन्धी न हो) जो उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांति परिचित हों और जिनका उसके विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बन्ध न हो, सच्चरित्र होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद उसके प्राक्चरित्र तथा चरित्र के बारे में अतिरिक्त जांच कर सकती है, जो वह आवश्यक समझें. और

(2) किसी सिविल सर्जन से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

11-- इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी भी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिये अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा। पत्र समर्थन

भाग 6 -- परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

12-- (1) रजिस्ट्रार के पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि उन पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकता है। इस प्रकार बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के किसी आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक के लिये उक्त अवधि बढ़ायी जाय।

"स्पष्टीकरण-- किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी लगातार सेवा की गणना, उक्त परिवीक्षा-अवधि की गणना करने में की जायगी।"

(2) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त

में किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, अथवा वह अन्य रूप से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो परिषद् उसकी सेवाओं को राज्य सरकार के अनुमोदन से समाप्त कर सकती है।

(3) कोई व्यक्ति जिसकी सेवायें उपनियम (2) के अधीन समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण

13--रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उसके पद पर स्थायी कर दिया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि –

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय, और

(ग) परिषद् उसे स्थायी करने के लिये उचित समझे।

दक्षता–रोक

14-- किसी भी व्यक्ति की दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी जब तक कि उसने दक्षतापूर्वक कार्य न किया हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हो गयी हो।

परिवीक्षा के पश्चात् सेवा की समाप्ति

15-- परिषद् के अधीन वैदेशिक सेवा में स्थानान्तरित किसी सरकारी सेवक से भिन्न, रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का कार्यकाल तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि--

(क) उसने लिखित रूप में अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना त्याग-पत्र न दे दिया हो और वह परिषद् द्वारा लिखित रूप से स्वीकार न कर लिया गया हो, अथवा उसकी सेवा परिषद् के सेवको की भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों के प्रवर्तन से समाप्त न हो जाय. या

(ग) परिषद् द्वारा उसे कम से कम तीन महीनें का नोटिस न दिया गया हो अथवा नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन के बराबर धनराशि न दी गयी हो, या

(घ) उसे अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार पदच्युत या सेवान्मुक्त न कर दिया गया हो अथवा सेवा से हटा न दिया गया हो।

भाग 7-- दण्ड तथा अपील

16--परिषद् को अधिनियम की धारा 24की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दण्ड देने का अधिकार होगा, अर्थात्

(क) निन्दा करना;

(ख) वेतन-वृद्धियाँ रोकना;

(ग) वेतन कम करना;

(घ) उपेक्षा या आदेशों का उल्लंघन करने के कारण परिषद् को हुई आर्थिक हानि, पूर्णतः अथवा अंशतः उसके वेतन से वसूल करना;

(ङ) सेवा से हटाना जिससे वह भविष्य में सेवायोजन के लिये अनर्ह नहीं होगा;
(च) सेवा से पदच्युत करना, जिससे वह साधारणतया भविष्य में सेवायोजन के लिये अनर्ह हो जाएगा;

प्रतिबन्ध यह है कि हटाये जाने या पदच्युत किये जाने के दण्ड का आदेश तब तक वैध न होगा, जब तक कि वह परिषद के अध्यक्ष सहित कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा पारित न किया जाय।

प्रक्रिया

17--(1) (क) साक्ष्यों पर आधारित किसी आदेश से भिन्न कोई ऐसा आदेश, जिसके कारण उसे किसी फौजदारी न्यायालय में दोष-सिद्ध किया जाय, अथवा पदच्युत किया जाय, हटाया जाय या वेतन कम किया जाय, तब तक न दिया जायगा, जब तक कि उसे उन कारणों की, जिन पर ऐसी कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित रूप से सूचना न दे दी गयी हो, और उसे अपने बचाव के

लिये पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।

(ख) उन कारणों को, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, निश्चित आरोप या आरोपों का रूप दिया जायगा और उन्हें रजिस्ट्रार को सूचित किया जायगा, जिसके साथ अभिकथनों का, जिस पर प्रत्येक आरोप आधारित हो, और किसी अन्य परिस्थिति का एक विवरण-पत्र होगा, जिस पर मामले में आदेश देने के समय विचार करने का प्रस्ताव हो।

(क) उससे उचित समय के भीतर एक लिखित वक्तव्य देने और यह बतलाने की अपेक्षा की जायेगी कि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी सुनवाई करवाना चाहता है।

(घ) तत्पश्चात् परिषद के अध्यक्ष अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जांच की जायगी। उस जांच में ऐसे अभिकथनों पर मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो, सुना जायगा, जो स्वीकार किये गये हों, और उसे साक्षियों से जिरह करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने और ऐसे साक्षियों को बुलाने का हक होगा, जिन्हें वह बुलवाना चाहता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जांच करने वाला प्राधिकारी विशेष तथा पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(ङ) कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और उपपत्तियों (Finding) का विवरण तथा उनके कारण दिये होंगे।

(च) जांच करने वाला प्राधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक्, उस दण्ड से पृथक् जो रजिस्ट्रार पर आरोपित किया जायगा, अपनी शिफारिश भी कर सकता है।

(2) उपनियम (1) उस दशा में लागू न होगा, जब किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का सेवायोजन - परिवीक्षा अवधि में अथवा उसके अन्त में समाप्त करने का प्रस्ताव हो। ऐसे मामलों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसे प्रस्ताव, कारणों से अवगत कराया जायगा, उसे उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रति कारण बताने का अवसर दिया जायगा, और तदर्थ उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिये गये हों, यथाविधि विचार किया जायगा।

(3) रजिस्ट्रार के विरुद्ध जांच पूरी हो जाने के पश्चात् और आरोपित की जाने वाली शास्ति के सम्बन्ध में परिषद के किसी अस्थायी निष्कर्ष कर पहुंच जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, यदि प्रस्तावित शास्ति, पदच्युति हटाया जाना या वेतन में कमी करना हो तो कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि दी जायगी, जिसमें जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा दण्ड के सम्बन्ध में की गयी शिफारिशें, यदि कोई हों, सम्मिलित न होंगी और उससे ऐसे एक विशेष दिनांक तक जिसमें उसे न्यायोचित समय दिया जायगा, यह बतलाने के लिये कहा जायगा कि क्यों न उस पर प्रस्तावित शास्ति आरोपित की जाये।

(4) जब कभी परिषद का यह समाधान हो जाये कि ऐसा मार्ग अपनाने के लिये समुचित और पर्याप्त कारण विद्यमान है तो वह निम्नलिखित शास्ति आरोपित कर सकता है:-

[1] निंदा करना; या

[2] दक्षता-रोक पर वेतन-वृद्धि रोकना;

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार के विरुद्ध औपचारिक आरोप विरचित करवाया उसका स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक न होगा।

(5) उन समस्त दशाओं में, जिनमें परिषद में;

[1] वेतन के कालमान में उन प्रक्रमों पर, जहाँ दक्षतारोक न हो, वेतन वृद्धियाँ रोकने, या

[2] उपेक्षा या आदेश के उल्लंघन के कारण परिषद को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः, वेतन में से वसूल करने की शास्ति आरोपित की हो, औपचारिक कार्यवाहियाँ, जिनमें अपराध या दोष का विवरण, रजिस्ट्रार का स्पष्टीकरण तथा दण्ड के कारण समाविष्ट हो, अभिलिखित की जायेगी।

18-- नियम 22 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परिषद अपवाद-स्वरूप मामलों में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी समय रजिस्ट्रार को जांच के विचाराधीन रहने तक के लिये निलम्बित कर सकता है और तुरन्त ही उसके विरुद्ध आरोप या आरोपों के जांच की कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

19--जब रजिस्ट्रार निलम्बित किया जाय तो बोर्ड द्वारा उसे निलम्बन की अवधि के लिये निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। ऐसे भत्ते की धनराशि समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्ड बुक

खण्ड-2, भाग-2 के फण्डामेन्टल रूल 53 के उपबन्ध के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

20--(1) रजिस्ट्रार के रूप में सेवायोजन के लिये राज्य के सरकारी सेवक की सेवायें परिषद को ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर मंगनी दी जा सकती है, जो राज्य सरकार निश्चित करे। निलम्बन

(2) जब परिषद यह निर्णय करे कि परिषद के अधीन काम करने वाले किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियाँ की जानी चाहिये तो अध्यक्ष निर्णय की एक प्रतिलिपि और उस मामले का समस्त संगत सामग्री तथा अभिलेख उस प्राधिकारी को भेजगा, जो सरकारी सेवक के रूप में उक्त कर्मचारी को दण्ड देने के लिये सक्षम हो और तत्पश्चात् वह प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उस सरकारी सेवा के, जिसमें वह सेवक हो, आनुशासनिक नियमों के उपबन्ध के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा। निर्वाह भत्ता

21-(1) रजिस्ट्रार परिषद द्वारा दिये गये किसी दण्ड के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है: परिषद को मंगनी पर दिये गये वाह्य-सेवा के सरकारी सेवकों को सेवायोजन के लिए विशेष

(2) अपील;

(क) में ऐसे समस्त सारवान विवरण तथा तर्क दिये जायेंगे जिन पर अपीलकर्ता भरोसा करता हो;

(ख) सम्मान रहित या अनुचित भाषा में न लिखी जायेगी;

(ग) अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की की जायगी; और

(घ) अपीलकर्ता को उस आदेश से सूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो। अपीलें

(3) सरकारी सेवक, जिसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो, उस सरकारी सेवा के, जिसमें वह सेवक हो, आनुशासनिक नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील कर सकता है।

(4) राज्य सरकार मामले के अभिलेख को मंगा सकती है और अपील में उठाये गये विषयों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश देगी, जो उसे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ठीक और साम्योचित प्रतीत हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा दण्ड में वृद्धि करने का प्रस्ताव हो तो सम्बद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायगा।

भाग 7 -- अन्य उपबन्ध

22-- रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तों से सम्बद्ध सभी अन्य विषय, जिनकी यहाँ पर विशिष्टतया व्यवस्था नहीं की गयी है, यथासम्भव समान परिस्थिति के सरकारी सेवकों के लिये राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

23-- रजिस्ट्रार का सेवा से निवृत्त होने की आयु 58 वर्ष होगी, जिसके पश्चात् साधारणतया उसे परिषद की सेवा में सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के नहीं रहने दिया जायगा। रजिस्ट्रार की सेवा की अवधि इस प्रकार न बढ़ायी जाएगी कि वह 60 वर्ष की आयु पूरा करने के दिनांक से भी आगे सेवा में बना रहे।

24-- रजिस्ट्रार की छुट्टी और छुट्टी-भत्ते से सम्बद्ध सभी विषय यथासम्भव उसी रीति से विनियमित होंगे, जो फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 भाग-2 से 4 (यू0पी0 फण्डामेन्टल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स) के अधीन सरकारी सेवकों के लिये लागू होते हैं।

25- रजिस्ट्रार पेंशन पाने का हकदार न होगा। वह भविष्य निधि योजना का लाभ उठा सकता है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से बनायी जा सकती है।

26-- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम में प्रवर्तन से कोई अनुचित कष्ट (undue hardship) होता है तो वह नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं का उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हये अभिमुक्त कर सकता है अथवा शिथिल कर सकता है, जिन्हें वह उस मामले को ठीक और उचित रीत से निपटाने के लिये आवश्यक समझे।